क्रम-संख्या--592

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 सितम्बर, 1983

आश्विन 1, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2708/सत्रह-वि-1-1(क)-25-1983

लखनऊ, 23 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

केसारी की खेती और विक्रय का प्रतिषेध करने और उसके उत्पादों के निर्माण या विक्रय का प्रतिषेध करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अधिनियम, 1983 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 25 अक्तूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

केसारी की खेती और उसके उत्पाद आदि का प्रतिषेध

2--कोई व्यक्ति---

(क) केसारी (लैथाइरस सैटाइवस) की खेती नहीं करेगा,

(ख) केसारी या उसके किसी उत्पाद को नहीं बेचेगा, न बेचने के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित करेगा, न किसी नाम से विक्रय के प्रयोजनार्थ या विक्रय के आशय से कोई माल तैयार करने के लिए उपादान के रूप में उपयोगार्थ अपने कब्जे में रखेगा,

(ग) केसारी से केसारी दाल या कोई अन्य उत्पाद तैयार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :---

इस धारा के प्रयोजनार्थ केसारी का आटा या केसारी की दाल का आटा, या चना (साइसर एरीटिनम) या चने की दाल या बेसन के साथ या किसी अन्य दाल या किसी अन्य आटे के साथ केसारी या केसारी दाल या इन दोनों में से किसी के आटे का मिश्रण केसारी का उत्पाद समझा जायगा।

शास्ति

3---कोई व्यक्ति जो धारा 2 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम न होगी, किन्तु छः वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये से कम न होगा, दण्डनीय होगा।

अधिनियम संख्या 37, सन् 1954 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

4---खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित,---

(क) इस अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित पदार्थों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित खाद्य पर लागू होते हैं,

(ख) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

निरसन और व्यावृत्ति

5---(1) उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2708(2)/XVII-V-1—1-(Ka)-25-1983

Dated Lucknow, September 23, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kesari (Pratishedh) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983.

THE UTTAR PRADESH KESARI GRAM (PROHIBITION) ACT, 1983

[U. P. Act no. 22 of 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the prohibition of cultivation and sale of Kesari gram and connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act, may be called the Uttar Pradesh Kesari Gram (Prohibition) Act, 1983.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on October 25, 1982.

Prohibition of cultivation etc. of Kesari gram and its products.

2. No person shall—

(*a*) cultivate Kesari gram (Lathyrus sativus) ;

(*b*) sell or offer or expose for sale, or have in his possession for purpose of sale, under any description or for use as an ingredient for the preparation of any goods intended for sale, Kesari gram (Lathyrus Sativus) or any product thereof ;

(*c*) manufacture Kesari Dal or any other product of Kesari gram (Lathyrus Sativus).

Explanation :—For the purposes of this section, Kesari gram flour, Kesari Dal flour, mixture of Kesari gram or Kesari Dal or flour of either with Bengal gram (Cicer Arietinum) or Bengal gram Dal or Bengal gram dal flour or with any other Dal or any other flour, shall be deemed to be a product of Kesari gram.

Penalty.

3. Any person who contravenes the provisions of section 2 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to six years and shall also be punishable with fine which shall not be less than two thousand rupees.

Application of certain provision of Act no. 37 of 1954.

4. The provisions of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 shall *mutatis mutandis* apply,—

(*a*) in relation to the articles mentioned in section 2 of this Act as they apply in relation to food as defined in the said Act ;

(*b*) in relation to an offence punishable under section 3 of this Act as they apply in relation to offences punishable under this said Act.

U.P. Ordinance no. 24 of 1983.

Repeal and savings.

5. (1) The Uttar Pradesh Kesari Gram (Prohibition) (Second) Ordinance, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 235 ला० (विधा०)—(2309)—1983—700 (मेक०)